तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1-4-24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकार उपस्थित।	

अपीलार्थीगण स्वयं अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए. अपीलान्ट ने बताया कि हमारे खातेदारी अधिकारी की कृषि भूमि वाके ग्राम निम्बो का तालाब तहसील बापिणी में खेत खसरा संख्या 36 रकबा 90.09 बीघा, खसरा संख्या 37 रकबा 72.06 बीघा, खसरा संख्या 221 रकबा 95.01 बीघा भूमि स्थित है जिसमें हम अपीलार्थी का संयुक्त रूप से 1/4 – 1/4 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज था. अपीलार्थीगण ने बताया कि हमने अपने 1/4 1/4 हिस्से अनुसार बंटवारा कब्जानुसार कर लिया था तथा आपसी सहमती से बंटवाडा के साथ जो नजरी नक्शा पेश किया गया उसमें मौके पर स्थित कब्जे से भिन्न बंटवाडा तरमीम हो गया तथा लिपिकिय त्रुटि से नक्शा गलत रूप से पेश कर दिया गया. अपीलार्थीगण ने बताया कि अनपढ व कानूनी जानकारी से अनभिज्ञ व्यक्ति थे हमे अपने कब्जे अनुसार तरमीम राजस्व रेकर्ड में तरमीम करवाने हेतु नक्शा पेश करना था लेकिन अनपढ व कानूनी जानकारी से अनभिज्ञता के कारण बंटवाडा के साथ जो नक्शा पेश किया गया है वो कब्जे से भिन्न पेश कर दिया गया जिससे अपीलार्थीगण को भयंकर क्षतिकारित हो रही है इसलिये प्रशासन गांवो के संग अभियान 2010 शिविर में अपीलार्थीगण के हिस्सो को कब्जे के अनुसार गलत जगह नक्शे में दर्शा दिया गया इसलिये बंटवाडा दिनांक 09.12.2010 को अपीलार्थी खारिज करवाकर नये सीरे से बंटवाडा करवाना चाहते है.

अपीलार्थीगण की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तरमीम शुदा नक्शा तथा मूल बंटवाडा का अवलोकन किया गया व अपीलाण्ट की बहस का मनन किया बाद मनन व अवलोकन अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर व अपीलार्थीगण का न्यायालय में उपस्थित होने पर तरमीम नक्शे का अवलोकन करवाकर उन्हे सुनकर ग्राम निम्बो का तालाब तहसील बापिणी में खेत खसरा संख्या 36 रकबा 90.09 बीघा, खसरा संख्या 37 रकबा 72.06 बीघा, खसरा संख्या 221 रकबा 95.01 बीघा भूमि का प्रशासन गांवो के संग अभियान 2010 में प्रस्तुत बंटवाड़ा दिनांक 09.12.2010 को खारिज किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः तहसीलदार बापिणी को आदेष दिया जाता है कि ग्राम निम्बो का तालाब तहसील बापिणी में खेत [illegible] संख्या 36 रकबा 90.09 बीघा, खसरा संख्या 37 रकबा 72.06 बीघा, खसरा संख्या 221 र[illegible] बीघा भूमि का बंटवाड़ा आदेश क्रमांक 180 दिनांक 09.1[illegible] जाता है। उक्त आदेश की पालना में स्वीकृत म्युटेशन को खारिज [illegible]ी को इस आदेश [illegible] रिमाण्ड किया जाता है कि सभी प्रभावित हिस्स[illegible]रान खातेदारान को [illegible]त सुनवाई का अवसर प्रदान कर नियमानुसार बंटवाड़ा की कार्यवाही सुनिश्चित करे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Ram Birda
Date: 2024.05.24 21:10:52 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
फलौदी (राज.)